

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी आम्दला..... व भू अभिलेख निरीक्षक कौरा.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आम्दला पटवार हल्का आम्दला तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०१३-१४-२०१६ में खाता संख्या ३३, १५६..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	आम्दला	33, 156	देवीलाल डोगमजीलाल महाजन	देवीलाल डोगमजीलाल महाजन



उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2023 / 411

दिनांक:- 4/9/23.....

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर करेड़ा